

राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर

क्रमांक प.4(1)RJ/RERA/2017/0-27


जयपुर, दिनांक :- 16.08.2017

आदेश

रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) एक्ट, 2016 की धारा 3 के तहत ऑनगोईन्ग प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण उक्त अधिनियम लागू होने की दिनांक से 3 माह की अवधि में किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि दिनांक 31.07.2017 को समाप्त हो चुकी है। अधिनियम की धारा 59(1) के प्रावधानानुसार जिन ऑनगोईन्ग प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है, उनके पंजीकरण हेतु अवधि विस्तार ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित पैनल्टी के साथ किये जाने का प्रावधान है।


निर्धारित अवधि के पश्चात् ऑनगोईन्ग प्रोजेक्ट्स के पंजीकरण हेतु निम्नानुसार शास्ति देय होगी:-

1. निर्धारित तिथि दिनांक 31.07.2017 के पश्चात् राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी की वेबसाईट पर आवेदन के प्रकरणों में - निर्धारित पंजीकरण शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की चार गुणा राशि शास्ति ली जाकर स्वीकार किये जायेगे।
2. दिनांक 31.08.2017 तक पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर ऑनगोईन्ग प्रोजेक्ट्स के लिये नियमों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की चार गुणा राशि शास्ति ली जाकर स्वीकार किये जायेगे।
3. दिनांक 31.08.2017 के पश्चात् आवेदन करने पर अथवा विलम्ब से आवेदित प्रकरणों में पैनल्टी राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक पैनल्टी देय होगी।


(प्रदीप कपूर)
रजिस्ट्रार,
राजस्थान रियल एस्टेट
रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
2. रजिस्ट्रार RERA, नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
4. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार,
राजस्थान रियल एस्टेट
रेग्युलेटरी ऑथोरिटी